राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1एल जयपुर, दिनांकः 27.03.2006

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं.11) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की (समय–समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एच क्यू/05/1जे, दिनांक 30.10.2002 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में यथा–विनिर्दिष्ट गैर–परिवहन यानों के मामले में एकबारीय कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से विहित करती है:–

क्र.सं.	मोटर यानों के वर्ग का वर्णन	एक बारीय कर
1.	केवल व्यक्तियों और हल्के वैयक्तिक सामान के प्रवहण के लिए ही संनिर्मित और उपयोग में लिये जा रहे, दुपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे मोटर यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 10 तक है;	
	(क) इंजन क्षमता वाले दुपहिया यान	
	(i) 100 सीसी तक	यान की लागत का 5%
	(ii) 100 सीसी से अधिक और 150 सीसी तक	यान की लागत का 6%
	(iii) 150 सीसी से अधिक	यान की लागत का 7%
	(ख) तिपहिया यान	
	(i) 1,50,000 रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 3%
	(ii) 1,50,000 रु. से अधिक लागत वाले यान	यान की लागत का 4%
	(iii) 1,50,000 रु. तक की लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 3.75%
	(iv) 1,50,000 रु.से अधिक लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 5%

	(ग) चार पहिया यान	
	(क) ड्राइवर सहित 5 तक की सीट क्षमता वाले; और	
	(i) 4,00,000 रु. तक की लागत वाले	यान की लागत का 4%
	(ii) 4,00,000 रु. से अधिक लागत वाले तथा 8,00,000 रु. तक	यान की लागत का 5%
	(iii) 8,00,000 रु. से अधिक लागत वाले	यान की लागत का 6%
	(ख) ड्राइवर सहित 5 से अधिक तथा ड्राइवर सहित 10 तक की सीट क्षमता वाले; और	
	(i) 4,00,000 रु. तक की लागत वाले	चैसिस की लागत का 5.50%
	(ii) 4,00,000 रु. से अधिक और 8,00,000 रु. तक की लागत वाले	यान की लागत का 6.50%
	(iii) 8,00,000 रु. से अधिक लागत वाले	यान की लागत का 7.0%
	(ग) ऊपर वर्णित यानों द्वारा खीचें जाने वाले ट्रेलर या साइड कारें	उस यान की लागत का 0.30% जिससे ट्रेलर या साइड कार संलग्न की जाती है
	2. निःशक्तों के उपयोग के लिए अनुकूलित दुपहिया/तिपहिया मोटर यान	अधिकतम 50रु. के अध्यधीन रहते हुए यान की लागत का 0.30%
	3. कृषि ट्रेक्टर	यान की लागत का 0.30%
	4. निजी उपयोग वाले कैम्पर वैन/ट्रेलर	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें	अधिकतम 1,50,000रु. के अध्यधीन रहते हुए चैसिस की लागत का 10%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये जायें	अधिकतम 1,50,000रु. के अध्यधीन रहते हुए यान की लागत का 7.5%

	5. रिग, जेनरेटर या कम्प्रेसर जैसे उपस्कर लगे यान, क्रेन माउन्टेड यान, फोर्क लिफ्ट, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टावर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान या किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आने वाले अन्य गैर–परिवहन यान।	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें	अधिकतम 1,50,000रु. के अध्यधीन रहते हुए यान की लागत का 10%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये जायें	अधिकतम 1,50,000रु. के अध्यधीन रहते हुए यान की लागत का 8%
	6. संनिर्माण उपस्कर यान	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें	अधिकतम 1,50,000रु. के अध्यधीन रहते हुए चैसिस की लागत का 7.5%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये जायें	अधिकतम 1,50,000रु. के अध्यधीन रहते हुए यान की लागत का 6.0%

परन्तु :

(1) ऊपर क्र. सं. 1 से 3 के सामने स्तम्भ सं. 2 में वर्णित मोटर यानों के स्वामित्व के अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त एक बारीय कर की 25% की दर से अतिरिक्त कर संदेय होगा।

(2) ऊपर क्रम सं 4 से 6 के सामने स्तम्भ सं. 2 में वर्णित मोटर यानों के स्वामित्व के अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त एक बारीय कर की 10% की दर से अतिरिक्त कर संदेय होगा।

(3) कोई अतिरिक्त कर संदेय नहीं होगाः–

(i) ऐसे मामलों में जहाँ स्वामित्व का अंतरण मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण मोटर यान के कब्जे के उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम में किया जा रहा हो; या

(ii) ऐसे मामलों में जहां यान के स्वामी द्वारा बीमा कम्पनी के विरुद्ध फाइल किया गया दावा तय हो जाने के कारण यान बीमा कम्पनी के नाम में अन्तरित किया जा रहा हो।

(4) राज्य में पहले से या राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत या मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, जिन पर एक बारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, एक बारीय कर, ऊपर यथा–संगणित कर की रकम को, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5% की दर से घटा कर, निकाला जायेगा।

(5) परन्तुक (4) के अधीन ऊपर यथासंगणित एक बारीय कर की रकम 75,000 रु. से अधिक नहीं होगी।

(6) यदि ऊपर क्रम सं. 1 से 3 के सामने स्तम्भ सं. 2 में यथावर्णित ऐसे यान भाड़े या पारितोषिक पर चल रहे पाये जायें तो ये यान उस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें वह भाड़े या पारितोषिक पर चल रहा पाया गया था, समान प्रकार के परिवहन यानों के लिए यथा–अधिसूचित कर का संदाय करने के दायी होंगे किन्तु उन मामलों में जहां यान उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें वह भाड़े या पारितोषिक पर चलता हुआ पाया गया था, रजिस्ट्रीकृत है तो शेष वित्तीय वर्ष के लिए आनुपातिक आधार पर कर संदत्त किया जायेगा।

<u>टिप्पणी</u>:– इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन संदेय कोई कर या शास्ति किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

<u>स्पष्टीकरण</u>

(1) ''संनिर्माण उपस्कर यान'' से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 (ग क) में यथा–परिभाषित यान अभिप्रेत है। संनिर्माण उपस्कर यान द्वारा सार्वजनिक सड़क का

उपयोग उसके मुख्य कृत्य का आनुषंगिक है। यदि सार्वजनिक सड़क नियमित रूप से वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये प्रयुक्त हो रहा है तो संनिर्माण उपस्कर यान परिवहन यान समझा जायेगा।

(2) <u>कर की संगणना के लिए यानों की लागत</u>

(i) नए यान/चैसिस के मामले में क्रय बिल में यथादर्शित समस्त करों सहित शोरुम बाह्य कीमत होगी।

(ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/खरीदे गये और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान में लाये गये यानों के मामले में, और राजस्थान में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान के लिए, जिन पर एक–बारीय कर पूर्व में संदेय नही था उस दिन, जिस दिन कर शोध्य होता है वह लागत होगी जो इस राज्य में समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।

(iii) भारत के बाहर विनिर्मित यानों के मामले में समस्त करों और उद्ग्रहणों सहित वह रकम होगी जो संदत्त कर दी गयी है, चाहे राजस्थान में नये सिरे से आयातित हो या समनुदेशन के लिए अन्य राज्यों से लाये जायें।

(iv) मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, रजिस्ट्रीकरण के दिन समान प्रकार के यान पर यथा–प्रचलित रकम होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवंत सिंह भाटी)
शासन उप सचिव

सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1एल जयपुर, दिनांकः 27.03.2006

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.03.2006 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।

8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव